न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

पीठासीन अधिकारी : अजय शर्मा (DJ Cadre)
सेशन प्रकरण संख्या : 21/2021 (C.I.S No. 21/2021)

राजस्थान राज्य

——अभियोगी

विरुद्ध

नेतीराम उर्फ नितेश पुत्र नगाराम उम्र 31 वर्ष निवासी सिरोही पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही (राज0)

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भा.दं.सं.
प्राथमिकी संख्या 154/2020 पुलिस थाना अनादरा

उपस्थितिः—
1. श्री लक्ष्मणसिंह बाला लोक अभियोजक
2. श्री गोविन्द राणा, अधिवक्ता अभियुक्त

निर्णय

दिनांक : 15.04.2026

01. आरक्षी केन्द्र अनादरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट 154/2020 अपराध अंतर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भा.दं.सं. के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा द्वारा अभियुक्त नेतीराम उर्फ नितेश के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रेवदर के समक्ष दिनांक 24.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया गया जो इस न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 09.03.2021 को प्राप्त हुआ। आगे इस निर्णय में पीड़िता को ''एल'' या ''पीड़िता'' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

02. सारतः व संक्षिप्ततः इस दाण्डिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.11.2020 को 02.28 पी.एम. पर परिवादीया पीडिता ने पुलिस थाना अनादरा के समक्ष एक टंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.21 इस आशय की पेश की कि उसका विवाह वर्ष 2013 नागाणी निवासी भेराराम के साथ हुआ था व दाम्पत्य जीवन से से दो पुत्र जिसमें एक पुत्र 4 वर्ष का एक पुत्र 6 वर्ष का है। उसके पति की ह्रदय गति रूकने के कारण वर्ष 2017 में मृत्यु हो चुकी है, वह अपने ससुराल नागाणी में ही निवास कर मेहनत, मजदूरी से अपना व अपने परिवार का पालण पोषण करती है। वह अपने पीहर आती जाती रहती है। सिरोडी आने जाने से उसके पड़ोस में रहने वाला नितेश उर्फ नेताराम पुत्र

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

नगाराम उस पर विधवा होने के कारण बुरी नजर रखता है व पीहर जाने पर उसे घुरता रहता है व उसके साथ दोस्ती का प्रस्ताव भी रखा था परन्तु उसने नेतीराम के आपराधिक किस्म का होने की वजह से व उसके बुरे इरादों को पहले से ही भाप लिया था जिस कारण उसने उक्त बात उसके घर वालो को बताई जिस पर उसके माता पिता नेतीराम को कहा कि उसका पीछा करना छोड़ दे परन्तु नेतीराम अपनी आदतो से बाज नहीं आया व बुरी हरकतों के चलते नेतीराम के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के अन्तर्गत श्रीमान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन है। नेतीराम जमानत पर रिहा हुआ है व रिहा होने के बाद से ही नेतीराम उस पर वापिस बुरी नजर रखता, जिससे में वह बहुत हैरान व परेशान है। वह दीपावली के दिन दिनांक 14.11.2020 को अपने छोटे बच्चे युवराज के साथ नागाणी से अपने पीहर सिरोडी ओटो रिक्शा में बैठकर आ रही थी तभी पामेरा नहर के पास उसके ओटो रिक्शा को रूकवाया, ओटो रिक्शा चालक ने सवारी होने के कारण रिक्शा रोक दिया, जिस पर नितेश उर्फ नेताराम ने उसके बच्चे को उठा लिया व चाकू की धार उसके बच्चे के गर्दन पर रख दी व उसको कहने लगा कि साथ चल नहीं तो बच्चे को जान से खत्म कर देगा, जिस पर ओटो रिक्शा चालक ने बीच बचाव करने की कोशिश की परन्तु नितेश ओटो रिक्शा चालक को भी जान से मारने की धमकी दी। वह अपने बच्चे की जान का खतरा देखते हुए उसके साथ जाने को तैयार हो गई जिस पर नितेश ने उसके बच्चे को ओटो रिक्शा में बैठा दिया। ओटो रिक्शा में बच्चे के बैठते ही रिक्शा चालक ने समझदारी दिखाते हुए ओटो रिक्शा को लेकर वहां से बच्चे को लेकर निकल गया व ओटो रिक्शा जाने के बाद नितेश उसको मारते हुए व चाकु का भय बताते हुए उसे सीधे उसके जीजा के अरठ पर लेकर जाकर उसके मना करने के बावजूद उसके कपडो को जबरन उतारकर उसके साथ में जबरन खोटा काम किया। खोटा काम करने के बाद नेतीराम उसे धमकी देने लगा कि उसने तेरी जिन्दगी खराब कर दी है अब तू उसके साथ ही पूरी जिदगी बिताएगी, जिरा पर नितेश ने अपने जीजा खंगाराराम व लहरी, पिता नगाराम, उसकी माता रम्बा देवी, भाई मोहन व कांति को खेत पर फोन करके बुलाया व उन्हें कहने लगा कि वह लड़की को अपनी रखेल बनाकर रखेगा। उक्त सभी घर वाले उस पर दबाव बनाने लगे कि इसके साथ में चली जा परन्तु उसने उक्त लोगों से कहा कि वह पहले अपने घर वालों की सहमति लेती हूँ फिर में वापिस आती हूँ। परन्तु उक्त सभी लोग उस पर जबरन नेताराम के साथ में भाग जाने का दबाव

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

पूरे दिन करीब 5 बजे तक बनाते रहे। उसका बच्चा अकेला घर पहुंचने पर उसके माता पिता ने बच्चे को पूछा कि अकेला कैसे आया है परन्तु लड़का छोटा होने के कारण सही रूप से बता नहीं पाया जिस पर घर वालो ने उसे खोजना प्रारम्भ किया। नेताराम व लवली उसको जबरन मोटरसाईकिल पर पकड़ कर बैठा था व मोटरसाईकिल नागाणी की तरफ आ रहा था तभी भुदाराम, रमेश व प्रकाश ने उसको ले जाते हुए देखा, तो मोटरसाईकल को वहीं छोडकर नितेश व लवली भाग गये व उसको सीधा घर लेकर आ गये। उसके पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष की समाज में बदनामी होने के कारण इसकी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं करवाई, परन्तु नितेश के हौसले और भी बुलंद हो गये व आए दिन वापिस उसके ससुराल में आकर उसके घर के चक्कर लगा रहा है। उसको भय है कि नितेश कभी भी उसके व उसके बच्चों के साथ गंभीर हादस कारित कर सकता है, आदि।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त नेतीराम उर्फ नितेश को अपराध अंतर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोपों की पुष्टि हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करायी —

साक्षी का क्रम अभियोजन साक्षी (पी.डब्लयु)	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1	'एस'	पीडिता का चाचा
2	प्रवीणसिंह	गिरफ्तारी का मौतबीर साक्षी
3	'यु'	पीडिता का पिता
4	वागाराम	मालखाना इंचार्ज
5	शिवलाल	मौतबीर साक्षी
6	चम्पालाल	मौतबीर साक्षी
7	रमेशकुमार	पीडिता का पडोसी
8	प्रकाशनाथ	रिक्शा चालक व चश्मदीद साक्षी
9	राशि अग्रवाल	चिकित्साधिकारी
10	दीक्षा चौहान	अनुसंधान अधिकारी
11	प्रदीप शर्मा	सेम्पल जमा करवाना

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

12	प्रकाशकुमार	अनुसंधान अधिकारी
13	प्रभातकुमार	हैक्साकॉम का नोडल अधिकारी

तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया :–

प्रदर्श पी	**फर्द**	**प्रमाणितकर्ता गवाह**
1, 2	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका	पी.ड.1, 3, 10
3	पीडिता की मेडिकल रिपोर्ट	पी.ड.1, 4, 9, 10
4	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त	पी.ड.2, 10
5, 6	मालखाना रजिस्टर की प्रति	पी.ड.4
7, 8	फर्द मौका तस्दीक	पी.ड.5, 6, 10
9, 10	फर्द जब्ती पारचात	पी.ड.5, 6, 10
13	महिला पुलिस थाना का अग्रेषण पच	पी.ड.6, 10
14	पुलिस अधीक्षक का अग्रेषण पत्र	पी.ड.6, 10
15	प्राप्ति रसीद	पी.ड.6, 10
16 से 18	पीडिता की चिकित्सकीय रिपोर्ट	पी.ड.10
19, 20	एफएसएल रिपोर्ट	पी.ड.10
21	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.ड.10
22	पीडिता के पुलिस बयान	पी.ड.10
23	चाक एफआईआर	पी.ड.10
24	पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन	पी.ड.10
25	अभियुक्त की सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.	पी.ड.10
26 से 29	अभियुक्त की चिकित्यकीय रिपोर्ट	पी.ड.10
30	फर्द विश्लेषण सीडीआर	पी.ड.10
31 से 34	कॉल डिटेल	पी.ड.10
35	पीडिता का आधार कार्ड	पी.ड.10
36, 37	रोजनामचा रपट	पी.ड.10
38	प्रमाण पत्र धारा 65बी(4)	पी.ड.10
39	अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड	पी.ड.10
40 से 44	पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान करवाने बाबत् पत्र व आदेशिका	पी.ड.10

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अपने स्पष्टीकरण में साक्ष्य अभियोजन पक्ष को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा कथन किया कि पीडिता ही उसको

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

लेकर गयी थी तथा पीडिता ने उसे फंसाने के लिए बहुत देरीना सोच विचार कर झूंठा प्रकरण दर्ज करवाया है। अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया, किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया :–

प्रदर्श डी	फर्द	प्रमाणितकर्ता गवाह
1	पुलिस बयान प्रकाशनाथ	पी.ड.8, 10

06. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

07. विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जावें।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। उसका तर्क हैं कि अभियुक्त का इस घटना से कोई लेना–देना नहीं है, पीडिता बालिग होकर सहमत पक्षकार थी तथा पीडिता व अभियुक्त के मध्य प्रेम प्रसंग था तथा पीडिता स्वयं ने अभियुक्त को बुलाया था तथा पीडिता स्वयं उसके गयी थी। पीडिता ने स्वयं फोन कर ओटो चालक को बुलाया था तथा उसी ने अपने पुत्र को भी ओटो चालक के साथ घर पर भेजा था। इस प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता का पुत्र तथा जिसके साथ में पीडिता ने अपने पुत्र को भेजा था उस व्यक्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं करवाया है। पीडिता ने अपने परिवार व समाज के दबाव में आकर घटना से करीब नौ दिन पश्चात् अभियुक्त को झूंठा फंसाने के लिए सलाह मशविरा कर देरीना रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस देरी बाबत् किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं करते है। हस्तगत प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष है। अतः उनका तर्क हैं कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें।

09. उभय पक्षकारान के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हमारे समक्ष प्रकरण में विचारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न व्युत्पन्न होते है :–

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

i. **क्या दिनांक 14.11.2020 को दिन में करीब 10.00 ए.एम. पर सरहद मौजा पामेरा नहर के पास जाने वाले रास्ते पर अभियुक्त नेतीराम उर्फ नितेश ने पीडिता 'एल' को ओटो रिक्शा में जाते हुए को आडे फिरकर स्वैच्छया रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर पीडिता को उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के लिए तथा उसके साथ अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किये जाने के प्रयोजन से उसको डरा धमकाकर उसका अपहरण कर पीडिता को अपने जीजा के अरठ पर ले जाकर स्वैच्छया जबरन रोककर पीडिता का सदोष अवरोध कारित किया तथा पीडिता की इच्छा व सहमति के बिना जबरन उसके साथ शारीरिक संभोग कर बलात्कार कारित किया ?**

ii. **यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो ?**

10. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दुओं के प्रमाणिकरण हेतु हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी परिवादीया पीडिता थी, किन्तु पीडिता की मृत्यु दिनांक 12.06.2021 को होने से पीडिता को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया।

11. हस्तगत प्रकरण में परिवादीया पीडिता द्वारा दर्ज करवाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.21 व धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्रदर्श पी.24 में पीडिता कथन करती है कि दिनांक 14.11.2020 को अपने छोटे बच्चे के साथ नागाणी से अपने पीहर सिरोडी ओटो रिक्शा में बैठकर आ रही थी, बीच रास्ते में नेताराम ने ओटो रिक्शा को रूकवाया, ओटो रिक्शा चालक ने सवारी होने के कारण रिक्शा रोक दिया, नितेश उर्फ नेताराम ने उसके बच्चे को उठा लिया व चाकू की धार उसके बच्चे के गर्दन लगाकर उसको डराया, धमकाया, ओटो वाले ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी। अपने बच्चे की जान का खतरा देखते हुए वह उसके साथ जाने को तैयार हो गई, जिस पर नितेश ने उसके बच्चे को ओटो रिक्शा में बैठा दिया। ओटो रिक्शा में बच्चे के बैठते ही रिक्शा चालक ने समझदारी दिखाते हुए ओटो रिक्शा को लेकर वहां से बच्चे को लेकर निकल गया व ओटो रिक्शा जाने के बाद नितेश उसको मारते हुए व चाकु का भय बताते हुए उसे सीधे उसके जीजा के अरठ पर लेकर जाकर उसके मना करने के बावजूद उसके कपडो को जबरन उतारकर उसके साथ में जबरन खोटा काम किया। जबकि इस प्रकरण का महत्वपूर्ण स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी ओटो रिक्शा चालक पी.डब्लयु.8 प्रकाशनाथ अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन करता है कि वह नागाणी गांव का निवासी होकर रिक्शा चालक है, तीन साल पहले डेढ दो बजे नागाणी निवासी भैराराम की पत्नी ने फोन किया था कि उसे नागाणी से सिरोडी छोडना है, फोन उसके मोबाइल पर आया था, फिर वह घण्टे भर में

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

सिरोडी गया जहां से भैराराम की पत्नी एवं उसका लडका टेम्पो में बैठे एवं वे सिरोडी व गुलाबगंज पालडी के बीच में नहर तक पहुंचे, जहां फोन पर भैराराम की पत्नी ने बात कर कोई आदमी को बुलाया, जहां आपस में इन दोनों के मध्य बोलचाल हुई, तो उसने कहा कि उसे उसका भाडा दे दो वह तो जाता है। उसका 200 रुपये भाडा तय हुआ था। भैराराम की पत्नी ने उसे कहा कि तू जा तो भले ही जा उसके लडके को भी नागाणी साथ में लेता जा तब उसने कहा कि वह अकेले लडके को साथ में नही लेकर जायेगा, फिर उसने कहा कि वह आदमी को साथ भेजती है, फिर उनके सिरोडी का ही कोई आदमी था जिसे उन्होंने साथ में भेजा था, फिर वह बच्चे को और उस आदमी को लेकर के नागाणी चला गया और उन्हे बस स्टेण्ड पर उतारकर वह चला गया। इसी प्रकार यह साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि यह सही है कि उसे 'एल' ने फोन करके बुलाया था कि उसे नागाणी छोडना है। वह रिक्शे वाला है इसलिए उसके नम्बर पीडिता के पास थे क्योंकि वो आंगनवाडी में काम करती है और उनके गांव की है इसलिए उसे जानती है। वह पीडिता को दोपहर में एक डेढ बजे के बीच उसके घर लेने के लिए पहुंचा था, उस समय पीडिता के साथ उसका लडका रिक्शे में बैठा था। वे रवाना होकर रास्ते में नहर पर पहुंचे वहां पर रिक्शे को पीडिता ने रूकवाया था। चलते रिक्शा में पीडिता ने फोन किया था जिस पर एक आदमी नहर पर आया था, जिसको वह पहले से नहीं जानता था। उसे पीडिता ने कहा था कि उसके बच्चे को नागाणी घर पर छोड देना। रिक्शे का भाडा उसे पीडिता ने दिया था। जिस आदमी के साथ पीडिता ने भेजामारी की वो आदमी बच्चे के साथ में वापिस नहीं आया था दूसरा आया था। जो दूसरा आदमी साथ में भेजा था वो भी पीडिता ने ही भेजा था, जो वहां पास में ही काम करता था। पीडिता नहर के उपर अपनी स्वैच्छा से उतरकर रूकी थी और स्वैच्छया से ही उसके बच्चे को उसके साथ रिक्शे में भेजा था। पीडिता ने जिस व्यक्ति को फोन करके बुलाया था उस व्यक्ति के हाथ में उस समय उसने कोई चाकू वगैरा नहीं देखा था। यह सही है कि उस समय उस व्यक्ति ने पीडिता को जबरदस्ती वहां रोकने की कोई कोशिश नहीं की। रिक्शा नहर पर रोकने पर जिस व्यक्ति को पीडिता ने बुलाया था उन दोनों के मध्य क्या बातचीत हो रही थी, वो उसे पता नहीं है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का महत्वपूर्ण स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी होकर परिवादीया पीडिता के कथनों के विपरीत कथन करता है कि वह पीडिता को जानता है, उसे पीडिता ने फोन करके बुलाया था, पीडिता ने

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

चलते रिक्शे में फोन करके एक आदमी को नहर पर बुलाया था, पीडिता ने ही रिक्शा नहर पर रूकवाया था, पीडिता ने ही उसके बच्चे को उसके साथ नागाणी घर छोडने हेतु भेजा था, पीडिता ने ही रिक्शे का भाडा दिया था, जिस व्यक्ति को पीडिता ने बुलाया था, उसके हाथ में कोई चाकू वगैरा नहीं देखा तथा उस व्यक्ति ने पीडिता को वहां जबरदस्ती रोकने की कोई कोशिश भी नहीं की। इस प्रकार यह स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी अभियुक्त नेतीराम के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं देता है तथा अभियोजन कहानी का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करता है। हैरानी की बात यह है कि यह गवाह पक्षद्रोही नहीं हुआ है, बल्कि इसने अनुसंधान के दौरान दिये गये अपने बयानों की ही ताईद न्यायालय में की है। इस गवाह के अनुसंधान के दौरान दिये गये धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श डी.1 है, जिसमे इसने हुबहु वही बात कही है, जो न्यायालय में कही है। इस महत्वूर्ण साक्षी के कथनों की ताईद अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.डब्लयु.10 दीक्षा चौहान के कथनों से भी होती है, जिसने भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन किया है कि उसने टेम्पों वाले प्रकाशनाथ को फोन करके बुलाया था, उसने स्वतंत्र गवाह के रूप में अपने बयान प्रदर्श डी.1 दिये थे तथा प्रकाशनाथ ने अनुसंधान के दौरान उसे बताया था कि भैराराम की पत्नी पीडिता ने स्वयं उसे ओटो रिक्शा रोकने को कहा था तथा पीडिता ने बताया था कि जो लडका आया था उसके पास चाकू नहीं था तथा भैराराम के लडके व उसकी पत्नी को चाकू से मारने की कोई बात उसके समक्ष नहीं हुई थी।

12. इसी प्रकार इस प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण साक्षी पी.डब्लयु.7 रमेशकुमार अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि पीडिता का पीहर उसके घर के पास है। करीब 03 वर्ष पहले दोपहर में 03:00 बजे खाना खाकर घर से जा रहा था तब पीडिता की माता ने कहा कि पीडिता को नेतीराम लेकर गया है। वह पीडिता को खोजने पीडिता के ससुराल नागाणी गया, जहां बुढिया को पूछा तो उसने कहा कि पीडिता तो सिरोडी गयी हुई है। फिर वह पामेरा गोगाजी मंदिर तक आया तब लवजी राम मोटरसाईकिल लेकर सामने आया, लवजीराम मोटरसाईकिल चला रहा था, पीडिता बीच में बैठी थी व नेतीराम पीछे बैठा था, उसने मोटरसाईकिल उनके आडी डाली और कहा कि कहां लेकर जा रहा है तब उसने पीडिता को उतार दिया। फिर वह पीडिता को उसकी मोटरसाईकिल के पीछे बैठाकर घर के लिए रवाना हुआ, वे बीच में पुरोहितों के कुएं तक पहुंचे तो पीडिता ने कहां कि उसका मोबाईल कुएं पर पडा है वह लेकर आ रही है, फिर

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

पीडिता वापस आयी तो दो मोबाईल लेकर आयी थी। उसने उसको पूछा तो उसने कहा कि नेतीराम ने उसके साथ गलत काम किया है। जबकि यह साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि पीडिता उसकी काका बाबा में बहिन लगती है एवं ससुराल की तरफ से वह उसका बहनोई लगता है, उसने पीडिता को तीन बजे से पांच बजे तक खोजा था, जिसमे नागाणी, करजाड, पोसित्रा, हडमतियां आदि स्थानों पर खोजा था, जिस पर पामेरा में गोगाजी मंदिर के पास करीब पांच बजे मिली थी। उसकी माता ने पीडिता के घर से करीब बारह बजे के आस पास छोटे बच्चे के साथ अकेली जाने की बात बतायी थी तथा जब पीडिता उसे मिली तब बच्चा साथ में नहीं था। उसे टेम्पों में बच्चा घर छोडने की बात पीडिता ने बतायी थी, जो बच्चा उसने राजीखुशी टेम्पों में घर छुडवाया था। पीडिता व नेतीराम के प्रेम संबंध बचपन से है, जो पूरा गांव जानता है। यह सही है कि उनके प्रेम संबंध होने के साथ ये एक साथ घूमते फिरते रहते थे और ये बात पूरा गांव जानता है। पीडिता और नेतीराम के आपस में प्रेम संबंध होने से पीडिता के पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष नेतीराम से रंजिश रखते थे। इस प्रकार यह साक्षी पीडिता का काका बाबा का भाई व बहनोई होकर भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करता है कि पीडिता व नेतीराम के प्रेम संबंध बचपन से थे, जो पूरा गांव जानता था तथा उनके प्रेम संबंध होने के कारण ही वे एक साथ घूमते फिरते थे और यह बात भी पूरा गांव जानता था तथा पीडिता और नेतीराम के आपस में प्रेम संबंध होने से पीडिता के पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष अभियुक्त नेतीराम से रंजिश रखते थे।

13. अन्य साक्षीगण में पीडिता का पिता पी.डब्लयु.3 'यु' अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि ढाई वर्ष पहले उसकी पुत्री 'एल' के साथ घटना हुई थी, उसके सामने पुलिस वालों ने दो जगह का घटनास्थल मौका देखा था, जो उसकी पुत्री ने बताया था, उसकी पुत्री ने बताया था कि अभियुक्त उसे टेम्पों में से उतारकर कुए पर लेकर गया, जहां उसके साथ गलत काम किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी.2 टेम्पों में से उतारने के स्थान का तथा नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय कुआ का प्रदर्श पी.1 है। उसकी पुत्री को अभियुक्त नेतीराम ने मार दिया था। यह साक्षी पीडिता का पिता होकर महत्वपूर्ण साक्षी है तथा अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि उसकी पुत्री को अभियुक्त नेतीराम ने मार दिया था, किन्तु स्वयं पीडिता के पिता ने अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री को मारने बाबत् उसने क्या कार्यवाही की, कहां कार्यवाही की तथा उस कार्यवाही में अभियुक्त के

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

विरूद्ध क्या हुआ, इस बाबत् इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कुछ भी कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा भी अभियुक्त द्वारा पीडिता को मारने बाबत् किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

14. इसी प्रकार अन्य साक्षी पी.डब्लयु.1 'एस' जो पीडिता का चाचा है, जो भी नक्शा मौका का साक्षी है, जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वर्ष 2020 में उसकी भतीजी के साथ नेतीराम उर्फ नितेश ने घटना कारित की थी। पुलिस ने उनके सामने घटनास्थल का मौके तीन जगह के देखे थे। पहले बलात्कार अरठ पर बने एक कमरे का, जो पडत है जहां पीडिता ने बताया था कि इस स्थान पर उसके साथ बलात्कार किया वहां का नक्शा मौका प्रदर्श पी.01 देखा था। दूसरा मौका नहर के ऊपर का देखा था, जहां पीडिता ने बताया कि वह टेम्पो से नागाणी से सिरोडी आ रही थी, जहां इस स्थान पर अभियुक्त नेतीराम व कांतिलाल मिले, जहां पीडिता को टैम्पो में से जबरदस्ती उतारकर ले जाने के स्थान का नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 देखा था। उसकी भतीजी का मर्डर हो गया है, जो नेतीराम ने ही किया है। अभियुक्त ने जमानत पर छूटते ही पीडिता का मर्डर कर दिया। जबकि प्रतिपरीक्षा में उसकी साक्ष्य है कि यह सही है कि गुलाबगंज से नागाणी वाले रास्ते पर टेम्पो व मोटरसाईकल का आवागमन चालु रहता है, उसकी भतीजी टेम्पों को 200/—रूपये किराए पर लेकर पीहर आ रही थी तथा अभियुक्त नेतीराम उनके गांव का ही रहने वाला है। इस प्रकार यह साक्षी पीडिता का चाचा होकर महत्वपूर्ण साक्षी है तथा अपनी साक्ष्य में कथन करता है कि नेतीराम उनके गांव का रहने वाला है तथा नेतीराम ने उसकी भतीजी का मर्डर किया है, किन्तु पीडिता का मर्डर अभियुक्त नेतीराम द्वारा किये जाने बाबत् उसने तथा पीडिता के पिता ने क्या कार्यवाही की तथा कहां पर कार्यवाही की, इस बाबत् इस साक्षी ने भी किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। इस संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधानकर्ता साक्षी पी.डब्लयु.10 दीक्षा चौहान अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन करती है कि पीडिता व मुलजिम के पूर्व में प्रेम संबंध थे और वे आपस में बातचीत करते थे तथा पीडिता ने अपने बयानों में बताया था कि मुलजिम पीडिता से शादी करना चाहता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पीडिता के पिता व पीडिता के चाचा ने अपने बयानों को बढा—चढा कर प्रस्तुत किये है।

15. पीडिता की चिकित्सकीय जांच करने वाली चिकित्सकीय साक्षी पी. डब्लयु.9 राशि अग्रवाल भी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि उसके द्वारा

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

पीडिता का निरीक्षण किया गया था, तो उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट या जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, पीडिता घटना के लगभग दस दिन बाद उसके पास आई थी, जिसके साथ उसका रिश्तेदार सकाराम भी था, पीडिता जब मेडिकल के लिए आई तब वह कपडे बदलकर आई थी। पीडिता ने बताया था कि यह प्रकरण लगभग दस दिन पूराना है। पीडिता के दो बच्चे होने से व घटना दस दिन पुरानी होने से बलात्कार संबंधी राय देना सम्भव नहीं था, पीडिता का यूपीटी टेस्ट नेगेटिव था।

16. इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में यह भी स्थिति है कि पीडिता ने अपने साथ अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक 14.11.2020 को दिन में करीब दस बजे कारित करना बताया है, किन्तु पीडिता द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.11.2020 को 2.28 पी.एम. पर दर्ज करवाई गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से करीब नौ दिन पश्चात् पीडिता द्वारा दर्ज करवाई गयी है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट इतनी देरीना प्रस्तुत किये जाने बाबत् पीडिता ने, पीडिता के पिता ने व पीडिता के चाचा ने किसी का कोई स्पष्टीकरण या साक्ष्य नहीं दी है। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता पी.डब्लयु.10 दीक्षा चौहान अपनी साक्ष्य में कथन करती है कि प्रदर्श पी.21 प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अनादरा में थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, उसने पीडिता से प्रकरण दर्ज कराने में देरी बाबत् पृथक से अनुसंधान नहीं किया था तथा यह सही है कि सामाजिक बदनामी के डर से रिपोर्ट देरीना देने का कथन पीडिता के बयानों में नहीं है। इसके अतिरिक्त अनुसंधानकर्ता साक्षी अपनी साक्ष्य में स्पष्ट कथन करती है कि दौराने अनुसंधान उसने पीडिता के मोबाइल नं.9001565624 व मुलजिम नेतीराम के मोबाइल नं.9672826764, 8769233265 के सीडीआर का विश्लेषण कर फर्द विश्लेषण सीडीआर प्रदर्श पी.30 मूर्तिब की थी। पत्रावली पर मौजूद फर्द विश्लेषण सीडीआर प्रदर्श पी.30 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पीडिता के मोबाइल से अभियुक्त के मोबाइल पर वक्त 7.46 ए.एम. से 12.55 पी. एम. तक कुल 40 बार आपस में बातचित हुई है तथा पीडिता के मोबाइल से ही ओटो रिक्शा चालक प्रकाशनाथ के मोबाइल नं. 7339838533 पर कॉल किया गया था तथा सभी कॉल पीडिता द्वारा आरोपी को करना पाया गया है। इस प्रकार फर्द विश्लेषण सीडीआर से भी स्पष्ट है कि पीडिता व अभियुक्त के मध्य मोबाइल पर बातचित लगातार हुई है तथा ज्यादातर पीडिता द्वारा ही अभियुक्त को फोन किया जाना प्रकट होता है। इसके खण्डन में अभियोजन पक्ष द्वारा

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

किसी प्रकार की कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।

17. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचनानुसार सारतः निष्कर्ष इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में पीडिता सबसे महत्वपूर्ण गवाह थी, किन्तु उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके बयान लेखबद्ध नहीं किये जा सके। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पीडिता बालिग होकर सहमत पक्षकार थी, दोनों के आपस में प्रेम संबंध थे, दोनों फोन पर आपस में बात करते थे, पीडिता द्वारा ही अभियुक्त को ज्यादातर फोन किया जाता था, पीडिता ने ही ओटो चालक प्रकाशनाथ को फोन कर बुलाया, पीडिता ने ही ओटो का किराया दिया था, पीडिता ने ही ओटो रूकवाया था, पीडिता ने ही अभियुक्त को फोन कर बुलाया, पीडिता ने ही अपने बच्चे को अन्य व्यक्ति के साथ ओटो रिक्शा में अपने घर भेजा तथा अभियुक्त द्वारा ओटो चालक के सामने पीडिता के साथ किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त पीडिता का यूपीटी टेस्ट भी नेगेटिव था तथा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी.20 के अनुसार भी पीडिता के घाघरा, अण्डवियर, वैजाईनल स्वाब और वैलाईनल स्मीयर स्लाईड में सीमन नहीं मिला है।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त अभियुक्त नेतीराम उर्फ नितेश द्वारा पीडिता 'एल' को ओटो रिक्शा में जाते हुए को आडे फिरकर स्वैच्छया रोककर उसका सदोष अवरोध कारित करना, पीडिता को उसकी इच्छा के विरूद्ध उससे विवाह करने के लिए तथा उसके साथ अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किये जाने के प्रयोजन से उसको डरा धमकाकर उसका अपहरण कर पीडिता को अपने जीजा के अरठ पर ले जाकर स्वैच्छया जबरन रोककर पीडिता का सदोष अवरोध कारित करना तथा पीडिता की इच्छा व सहमति के बिना जबरन उसके साथ शारीरिक संभोग कर बलात्कार कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त नेतीराम उर्फ नितेश को अपराध अंतर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

19. परिणामस्वरूप **अभियुक्त** नेतीराम उर्फ नितेश पुत्र नगाराम उम्र 31 वर्ष निवासी सिरोही पुलिस थाना अनादरा जिला सिरोही (राज0) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 342, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं अतः उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो तुरन्त उसे जेल से रिहा किया जावे।

20. इस प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत/आर्टिकल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट हो।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

21. निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:47
Steno Gr. I
(Authenticated Document)